गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ एम॰ सईद) : (क) से (ग) इण्टरपोल-इण्डिया और लायन्स स्थित इण्टरपोल मुख्यालय में टेलेक्स, फैक्स और टेलीफोन के माध्यम से सीधा सम्पर्क है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की इण्टरपोल शाखा और लायन्स स्थित इण्टरपोल मुख्यालय भी पुलिस रेडियो नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं।

सेण्ट्रल फारेन्सिक लेबोरेटरी द्वारा निपटाए गए मामले

3978. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेण्ट्रल फारेन्सिक लेबोरेटरी को भेजे गए मामलों को कर्मचारियों की कमी के कारण निर्धारित समय पर नहीं निपटाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न संगठनों, एजेंसियों से वर्षवार कितने मामले प्राप्त हुए हैं और उनमें से कितने मामलों को निपटाया गया है; और

(ग) मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ एम॰ सईद) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्राप्त हुए मामलों और निपटाए गए मामलों के बारे में सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष	प्राप्त मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या
1990	4270	3572
1991	4787	3877
1992	4218	3355

(ग) केन्द्रीय विधि-विज्ञान प्रयोगशाला, दिल्ली द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो और दिल्ली पुलिस, दोनों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं। केन्द्रीय विधि-विज्ञान प्रयोगशाला, दिल्ली में कार्य की अधिक मात्रा को कम करने के लिए दिल्ली पुलिस के लिए एक पृथक विधि-विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की स्वीकृति दी गई है।

Children in Jails without Trial

3979. SHRI RAJNI RANJAN SAHU :
SHRIMATI VEENA VERMA :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of children in jail without trial for over a year; over six months; and over one month; in the Capital and in the country as a whole;

(b) whether it is a fact that a number of children are held in prisons without trial; for petty offences; and

(c) if so, what steps are taken to minimise such atrocities on children, including their exploitation and abuse during such imprisonment?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P.M. SAYEED): (a) and (b) Under the Juvenile Justice Act, 1986, children are not to be held in prisons.

(c) Does not arise.

लाटरियों की पुरस्कार राशि की अदायगी के संबंध में समय-सीमा

3980. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाटरी निकलने पर पुरस्कार का दावा करने के संबंध में समय-सीमा है जबकि पुरस्कार राशि की अदायगी के संबंध में कोई समय-सीमा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार ने पुरस्कार राशि की अदायगी की समस्या के समाधान हेतु क्या प्रयास किये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ एम॰ सईद) : (क) से (ग) लाटरियां चलाने में गलत तौर-तरीके अपनाए जाने के बारे में शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं। आगे की समुचित कार्यवाई के लिए इन्हें संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है। अलग-अलग मामलों के बारे मे सांख्यिकीय सूचना नहीं रखी जाती है। सूचित किए गए गलत तौर-तरीकों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार ने समय-समय पर राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

दंगों के दौरान अनाथ हुए बच्चे

3981. **श्री गोपाल सिंह जी॰ सोलंकी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राज्यों ने जनवरी, 1993 के दौरान दंगों में अनाथ हुए बच्चों की अभी तक पहचान नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि बच्चों की पहचान कर ली गई है, तो अनाथ हुए ऐसे बच्चों की राज्य-वार संख्या कितनी है और उनमें से कितने बच्चों को सहायता दी गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ एम॰ सईद) : (क) से (ग) राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भावना संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, जनवरी, 1993 माह के दौरान